न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) प्रथम/ए0सी0जे0एम0, बरेली
वादी गुलफान

मु0अ0सं0 497/23
धारा 379 भा0दं0सं0
थाना भोजीपुरा, जिला बरेली

दिनांक– 13.07.2024

आज यह अंतिम आख्या/प्रकीर्ण वाद मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुकार पर न्यायालय में वादी मुकदमा उपस्थित है। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद में वादी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि वह मुकदमे की कार्यवाही से संतुष्ट है तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उपरोक्त आधार पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। विवेचक के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। उपरोक्त प्रकीर्ण वाद (अंतिम आख्या) विगत कई वर्षों से लंबित है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र सं0 C.L. No. 96/VIII - B dated 19 Jul. 1971 द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर अंतिम आख्या के निस्तारण का आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र सं0 C.L. No. 10/VII - C/25 Admin. (G) dated 24 Jan 1986 द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर अंतिम आख्या के निस्तारण का आदेश दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्वेषण में कोई अनियमितता नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर सिविल जज (सी0डि0) प्रथम/ए0सी0जे0एम0
बरेली।